समक्ष रितु बहरी, जे।

हरियाणा सरकार-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स जी. एफ. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य- प्रतिवादी

2017 का सी. आर. सं. 3279

1 मार्च, 2018

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 227-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-14,16 और 34-याचिकाकर्ता, हरियाणा सरकार ने ए. डी. जे., चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 27.01.2017 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की खंड 14 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए घोषणा की गई कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन अवैध था-प्रतिवादी को टोल प्लाजा के डिजाइन इंजीनियरिंग, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव का काम आवंटित किया गया था-रियायत समझौते में विवाद को एक स्वतंत्र सलाहकार को संदर्भित करने पर विचार किया गया था और यदि मामला हल नहीं हुआ था, तो एक मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए-प्रतिवादी मेसर्स जी. टी. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किंया। और मध्यस्थता का नामा कन हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के सेवा निवृत मुख्य्य अभियंता को चुना गया जिसको नियमों के खिलाफ बताकर विरोध किया गया फिर मध्यस्थ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वे एक नामित मध्यस्थ नियुक्त कर चुके हैं । जिसमें हरियाणा सरकार व याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ और याचिकाकर्ता के समक्ष कार्यवाही की और याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति पत्र दाखिल किया और जवाबी दावा भी दाखिल किया, मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष । न्यायालय ने माना कि कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए माना कि ये याचिकाकर्ता के लिए चुनोती करना उजागर नहीं था । प्रथम द्रष्टय मध्यस्थता के निर्माण के लिए मध्यस्थ आपत्ति करने के

लिए प्रार्थना नियमाधिकरण की धारा अंतर्गत 16 के अंतर्गत नहीं आता- दीवानी पुनरीक्षण खारिज।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, वर्तमान मामले में, जब श्री एम. के. अग्रवाल के नाम के संबंध में आपत्ति उठाई गई थी, तो भारतीय मध्यस्थता परिषद नियमों के नियम 27 (बी) के तहत पंजीयक ने याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग को श्री एम. के. अग्रवाल का नाम वापस लेने और एक प्रतिस्थापित नाम भेजने के लिए 15 दिनों का समय दिया।इसके बाद कई पत्र लिखे गए।जब पीडब्ल्यूडी विभाग (याचिकाकर्ता) से कोई जवाब नहीं मिला तो भारतीय मध्यस्थता परिषद नियमों के नियम 25 और 27 के अनुसार मध्यस्थता समिति के परामर्श से पंजीयक द्वारा एक नया मध्यस्थ नियुक्त किया गया। आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए किसी भी नियम की अनुपस्थिति में में, धारा 25 से 27 के तहत प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।इसके अलावा, पंजीयक ने श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर मध्यस्थ का प्रतिस्थापित नाम भेजने के लिए आई. सी. ए. नियमों की खंड 27 (2) (बी) के तहत अपना उचित नोटिस दिया था।हालाँकि, याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य अपने प्रतिस्थापित नामित व्यक्ति को भेजने में विफल रहा और अंततः, मध्यस्थ न्यायाधिकरण समिति ने श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर श्री पी. सी. मार्कंडा-प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रतिस्थापित मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े।इस तथ्य को दोनों पक्षों को विधिवत सूचित किया गया था। (पैरा 15)

आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी न.1-मैसर्स जी. एफ. टोल्स ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दावे का बयान दायर किया।यहां तक कि वर्तमान याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य ने भी गठित न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें वैध आवेदन के रूप में नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जवाबी दावा भी दायर किया है।यह तथ्य दर्शाता है कि निहित रूप से, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। (पैरा 10)

आगे कहा कि, उपरोक्त चर्चा के आलोक में और मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून, यह न्यायालय इस विचार से कि एक बार जब

याचिकाकर्ता को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में अधिनियम की खंड 16 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार था, तो अधिनियम की खंड 14 के तहत उसके आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।तदनुसार, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। (पैरा 17-18)

पी. एस. राणा, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

रूपा पठानिया के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए. के. चोपड़ा, अधिवक्ता,

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

सुमित गोयल, अधिवक्ता और अतुल गोयल, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

रीतू बहरी, जे।

(1) इस याचिका में चुनौती हरियाणा सरकार बनाम मैसर्स जी. एफ. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के दिनांकित 27.01.2017 आदेश अतिरिक्त जिला न्यायधीश को दी गयी है ।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशाधीश, चंडीगढ़ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 14 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय की घोषणा के लिए दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए पारित किया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन अवैध, मनमाना, अनुचित और प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के खिलाफ है।

(2) हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (बी एंड आर) विभाग ने मुख्य अभियंता, हरियाणा, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा द्वारा से मैसर्स जी. एफ. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी) के पक्ष में फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में गुड़गांव-फरीदाबाद और बल्लभगढ़-सोहना सड़कों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्त, निर्माण, संचालन और रखरखाव के काम के निष्पादन के लिए बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर स्वीकृति पत्र जारी किया।रियायत समझौते पर 24 महीने की निर्माण अवधि के साथ

31.01.2009 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 17 साल की रियायत अवधि निर्धारित तिथि 31.05.2009 से शुरू होती है, यानी रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 120 दिन।

(3) प्रतिवादी जी. एफ. टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध में कथित सामग्री भंग के लिए मुआवजे के संबंध में रियायत समझौते के खंड 39.1 के तहत नोटिस जारी किया। मामला एक स्वतंत्र सलाहकार के पास भेजा गया था, जिसे आगे रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य करना था।इसके बाद स्वतंत्र सलाहकार ने 27.02.2014 दिनांकित पत्र जारी किया।अंत में, प्रतिवादी संख्या 1 ने 14.02.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से रियायत समझौते के खंड 39.1 (बी) के अनुसार विवाद का संदर्भ मांगा। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने मध्यस्थता शुरू करने के लिए प्रतिवादी No.2-Registrar भारतीय मध्यस्थता परिषद (संक्षेप में 'ICA') को दिनांकित 30.03.2015 का नोटिस भेजा।उक्त सूचना के अनुसरण में, आई. सी. ए. ने दिनांक 09.04.2015 का एक पत्र भेजा, जिसमें याचिकाकर्ता को मध्यस्थता लागत और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे की राशि के लिए लगभग Rs.95 करोड़ के खर्च के लिए Rs.51,80,595/- जमा करने और बचाव बयान/जवाबी दावे, यदि कोई हो, दायर करने का निर्देश दिया गया।11.05.2015 द्वारा परिषद के पैनल से उसकी ओर से मध्यस्थ को नामित करने का एक और निर्देश दिया गया था।प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने दिनांकित पत्र 05.05.2015 के माध्यम से श्री सुरजीत सिंह की मध्यस्थ-प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में नियुक्ति की सूचना दी।आई. सी. ए. ने दिनांकित 12.05.2015 के पत्र के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति को स्वीकार किया, बशर्ते कि मध्यस्थता बकाया का भुगतान किया जाए।

(4) आई. सी. ए. ने 12.05.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता (हरियाणा राज्य) से बचाव बयान/जवाबी दावे, मध्यस्थता की लागत जमा करने और मध्यस्थ के पैनल से अपने नामित मध्यस्थ का नाम आगे बढ़ाने का आह्वान किया।हरियाणा राज्य (याचिकाकर्ता) ने 08.06.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से आई. सी. ए. को अपने नामित मध्यस्थ यानी श्री एम. के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) हरियाणा पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के बारे में सूचित किया।याचिकाकर्ता के नामित मध्यस्थ श्री एम. के. अग्रवाल ने अपनी सहमति और दिनांकित घोषणा 19.06.2015 दी, जिसे

याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 30.06.2015 पत्र के माध्यम से अग्रेषित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांकित 27.07.2015 के पत्र के माध्यम से आई. सी. ए. से मामले को आगे साबित करने का अनुरोध किया और याचिकाकर्ता के नामित मध्यस्थ श्री एम. के. अग्रवाल के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई।इसके बाद, आई. सी. ए. ने 03.08.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को Rs.51,80,959/- जमा करने और जवाबी दावे के साथ बचाव बयान दाखिल करने के लिए कहा क्योंकि उक्त राशि जमा किए बिना आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।आई. सी. ए. ने आई. डी. 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से फिर से कहा कि श्री एम. के. अग्रवाल का नामांकन मानदंडों और आचार संहिता के खिलाफ था।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने आई. सी. ए. द्वारा भेजे गए दिनांकित 21.05.2015 ईमेल के जवाब में दिनांकित 25.09.2015 का एक पत्र भेजा, जिसमें पहली बार श्री एम. के. अग्रवाल की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति पर अपनी आपत्ति केवल इसलिए व्यक्त की गई क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य के संगठन में काम किया था, जिसने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म दिया।आई. सी. ए. ने 12.10.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए एक नया नाम भेजने के लिए कहा।यह आगे कहा गया कि यदि हरियाणा राज्य अभी भी श्री एम. के. अग्रवाल को नामित करने पर जोर देता है, तो परिषद को याचिकाकर्ता के नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मामले को अपनी मध्यस्थता समिति को भेजना होगा।इसके अलावा, बाद वाले ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने नामित मध्यस्थ के परिवर्तन और प्रतिस्थापन के लिए परिषद द्वारा दिए गए अवसरों पर कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि यह (परिषद) मध्यस्थता समिति की सिफारिश के तहत श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया में थी। दिनांकित 16.11.2015 पत्र के माध्यम से, हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता ने आई. सी. ए. से आवश्यक कार्य करने के लिए 30 दिनों का समय देने का अनुरोध किया।इस पर, आई. सी. ए. ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि मध्यस्थता समिति ने पहले ही हरियाणा राज्य की ओर से-याचिकाकर्ता के साथ-साथ पीठासीन मध्यस्थ की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी थी और परिषद नियुक्त मध्यस्थों से सहमति पत्रों की प्रतीक्षा कर रही थी, इस प्रकार, 30 दिनों का

समय, दिनांकित आई. डी. 2 के पत्र के माध्यम से मांगा गया, प्रदान नहीं किया जा सका।

(5) अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन में, राज्य की शिकायत यह थी कि उन्हें मध्यस्थता समिति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में 23.11.2015 से पहले कभी सूचित नहीं किया गया था।प्रतिवादी सं. 5 का नामांकन और हरियाणा सरकार का मध्यस्थ बनाम मैसर्स जी. एफ. टोल रोड पी. वी. टी. का गठन आई. सी. ए. द्वारा न्यायाधिकरण कानूनी और वैध नहीं था, इसलिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 14 को देखते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश समाप्त कर दिया गया था।अंततः, एक प्रार्थना की गई कि हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 के स्थान पर अपने नामित मध्यस्थ को प्रतिस्थापित/नामित करने की अनुमति दी जाए।

(6) नोटिस पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबी दावे के साथ अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 3,4 और 5 से मिलकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य 20.02.2016 पर वकील द्वारा से न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुआ था।इस पृष्ठभूमि में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही जारी रखने और मध्यस्थता निर्णय देने का हकदार था।अधिनियम की खंड 13 के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम की खंड 34 के अनुसार उक्त पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करना था। यह आगे कहा गया कि हरियाणा राज्य ने पहले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष श्री पी. सी. मार्कंडा की नियुक्ति को चुनौती दी थी और इसलिए, अधिनियम की खंड 14 के तहत आवेदन विचारणीय नहीं था।आई. सी. ए. ने हरियाणा राज्य के याचिकाकर्ता को मध्यस्थ के रूप में श्री एम. के. अग्रवाल के नामांकन पर आपत्ति के बारे में याद दिलाया था क्योंकि वह याचिकाकर्ता के कर्मचारी थे।याचिकाकर्ता को परिषद के मध्यस्थों की सूची से किसी अन्य मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने और/या नामित करने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद, वह ऐसा करने में विफल रहा था।आई. सी. ए. के नियमों के अनुसार, हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी संख्या 5 को उनके नामित मध्यस्थ के रूप में नामित करने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन सही ढंग से किया गया था।

(7) प्रतिवादी संख्या .2-भारतीय मध्यस्थता परिषद ने एक अलग जवाब दायर किया और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस आशय से लिए गए रुख को दोहराया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो वर्तमान याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य ने अपने नामित मध्यस्थ के लिए कोई प्रतिस्थापित नाम भेजा और न ही मध्यस्थता कार्यवाही के लिए राशि जमा करने का कोई प्रयास किया गया। दिनांक 30.01.2015 के पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि श्री एम. के. अग्रवाल का नामांकन अवैध था और उन्हें किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य को पर्याप्त अवसर देने के बाद, मध्यस्थता समिति ने याचिकाकर्ता की ओर से नामित मध्यस्थ के रूप में डॉ. पी. सी. मार्कंडा-प्रतिवादी संख्या 5 को नियुक्त किया और इस निर्णय को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांकित 18.11.2015 पत्र के माध्यम से 5 को सूचित किया गया।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन आई. सी. ए. नियमों के नियम 24 के तहत किया गया है और इसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया गया था।गठित न्यायाधिकरण की पहली बैठक 20.02.2016 पर आयोजित की गई थी और उस सुनवाई में दोनों दावेदार और प्रतिवादी उपस्थित हुए थे और अभिवचनों को पूरा करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की गई थी।इसके बाद, अधिनियम की खंड 14 के तहत वर्तमान आवेदन की सूचना प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई।

(8) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया।हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की थी कि मध्यस्थता खंड को लागू करने से पहले, प्रतिवादी संख्या 1 ने सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विवाद समाधान खंड को समाप्त नहीं किया था।इस पहलू पर विचार करते हुए, यह माना गया है कि सौहार्दपूर्ण समाधान के साथ विवाद को निपटाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे और इसके अनुसरण में, स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया गया था।जब ऐसा कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हुआ, तो उस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने मध्यस्थता के आई. सी. ए. नियमों के नियम 15 के अनुसार दिनांकित 30.03.2015 का दावा बयान प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि विवाद को आपसी समझौते के माध्यम से हल नहीं किया गया था।इसके अलावा, विभाग द्वारा दिनांकित 10.06.2015 पत्र के माध्यम से आपत्तियां उठाई गईं, जिसके जवाब में, ICA

ने दिनांकित 11.07.2015 पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया कि मध्यस्थ संदर्भ की स्थिरता का पिंट अपने जवाब के लिए विरोधी पक्ष को भेजा गया और आपत्तियों का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा जब भी यह स्थापित किया गया था।विभाग ने दिनांकित 08.06.2015 पत्र के माध्यम से अपने स्वयं के नामित व्यक्ति को नामित किया था और इस तथ्य से पता चलता है कि विवाद को खंड 38.1 के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता है।

(9) दूसरा आधार यह था कि मध्यस्थता के नियमों के तहत, आई. सी. ए. के पास मध्यस्थ के रूप में श्री एम. के. अग्रवाल के प्रतिस्थापन का आदेश देने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था।रियायत समझौते के खंड 39.1 के अनुसार, प्रत्येक पक्ष को एक मध्यस्थ नियुक्त करना था और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति परिषद द्वारा की जानी थी।इस समझौते में इस बात का कोई प्रावधान नहीं था कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में किसी भी आपत्ति या किसी विवाद की स्थिति में क्या होगा।ऐसी परिस्थितियों में भारतीय मध्यस्थता परिषद के नियमों का पालन किया जाना था।मध्यस्थ के रूप में श्री एम. के. अग्रवाल की नियुक्ति पर आपत्ति थी।तदनुसार, याचिकाकर्ता-हरियाणा सरकार को श्री एम. के. अग्रवाल के नामांकन पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वे विभाग के पूर्व कर्मचारी थे और मध्यस्थ के रूप में नामित होने के योग्य नहीं थे।यह आपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई थी।याचिकाकर्ता-राज्य हरियाणा को आईसीए नियमों के नियम 27 (बी) के अनुसार, अपने नाम पर पुनर्विचार करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था।लेकिन, विभाग ने 27.10.2015 द्वारा कोई नाम नहीं भेजा था।इसके बाद, 23.11.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से, परिषद ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि उन्होंने पहले से ही एक नामित मध्यस्थ नियुक्त किया था और उनसे सहमति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे।अंत में, 05.12.2015 दिनांकित पत्र के माध्यम से, आई. सी. ए. ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बारे में आई. सी. ए. मध्यस्थता नियमों के नियम 24 के तहत अधिसूचित किया।

(10) प्रतिवादी संख्या 1-मैसर्स जी. एफ. टोल्स ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दावे का बयान दायर किया।यहां तक कि वर्तमान याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य ने गठित न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्तियां दायर कीं, जिन्हें आवेदन वैध नहीं होने पर खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जवाबी दावा भी

दायर किया है।यह तथ्य दर्शाता है कि निहित रूप से, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित पक्ष न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है।इन टिप्पणियों के साथ, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित "सी. एम. सी. लिमिटेड बनाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अन्य" के निर्णय का उल्लेख किया है 1

(12) हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।इस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को हल करने के लिए सहमत हो जाते हैं और वे संबंधित मध्यस्थों को नामित करने का अधिकार बनाए रखते हैं, तो किसी भी पक्ष पर भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार केवल एक मध्यस्थ का चयन करने या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए केवल उन नियमों के संदर्भ में आगे बढ़ने का कोई दायित्व नहीं होता है।उपरोक्त निर्णय पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की पृष्ठभूमि में दिया गया था, जहां पक्षों ने अपने स्वयं के मध्यस्थ को नामित करने के लिए खुद को बनाए रखा था, जिन्हें बदले में एक पीठासीन मध्यस्थ को नामित करना था, ताकि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जा सके। नियुक्ति की शक्ति भारतीय मध्यस्थता परिषद को नहीं दी गई है।इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद, कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जानी थी।उस मामले में, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के अनुसार, पक्षों ने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति का समाधान किया था और खुद को बनाए रखा था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं था।मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद, कार्यवाही का पालन भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना था।न्यायाधिकरण का गठन समझौते के खंड 20 के अनुसार था।चुनौती थी 1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 11 (6) के तहत आवेदन के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए चुनौती दी गयी । माननीय उच्चतम

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्दिष्ट निर्णय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान पक्षों के बीच समझौते का विषय है।यदि, विवादों के ऐसे समाधान पर विचार करते समय, उन्होंने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति को भी अपने पास बनाए रखा, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के प्रावधान में कुछ भी गलत है या इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है।

(13) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में, पक्षों ने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने का संकल्प लिया था।हालांकि, वर्तमान मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की शक्ति स्पष्ट रूप से गायब है।वर्तमान मामले में, शुरू में रियायत समझौते के खंड 39.1 (बी) के अनुसार, विवाद को एक स्वतंत्र सलाहकार को भेजकर सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है।यदि विवाद 45 दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो पक्षकार मध्यस्थता के लिए खंड 39.2 के तहत लिखित रूप में दावा कर सकते हैं।प्रासंगिक नियम 39.2.1 और 39.2.2, इस संबंध में निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" 39.2.1.कोई भी विवाद, जिसे खंड 39.1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जाता है, अंत में खंड 39.2.2 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ मंडल द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ में तय किया जाएगा।2 उपखंड (बी) नीचे।इस तरह का मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा और मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।

39.2.2.तीन मध्यस्थों का एक बोर्ड होगा जिसमें से प्रत्येक पक्ष एक का चयन करेगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार की जाएगी।"

(14) उपरोक्त दो नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि तीन मध्यस्थों का एक बोर्ड होना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक पक्ष एक का चयन करेगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय मध्यस्थता परिषद के मध्यस्थता नियमों के अनुसार की जाएगी।नामित व्यक्ति की आपत्तियों के संबंध में कोई नियम नहीं है।यदि इस पृष्ठभूमि में किसी एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ के नाम के संबंध में कोई आपत्ति है, तो नियम 39.2।1 लागू होगा।इस नियम के अनुसार, मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता परिषद के अनुसार आयोजित की जानी है।

प्रावधान इस बारे में मौन हैं कि यदि किसी एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति है तो प्रक्रिया क्या होगी।

(15) वर्तमान मामले में, जब श्री एम. के. अग्रवाल के नाम के संबंध में आपत्ति उठाई गई, तो भारतीय मध्यस्थता परिषद नियमों के नियम 27 (बी) के तहत पंजीयक ने याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग को श्री एम. के. अग्रवाल का नाम वापस लेने और एक प्रतिस्थापित नाम भेजने के लिए 15 दिनों का समय दिया। इसके बाद कई पत्र लिखे गए।जब पीडब्ल्यूडी विभाग (याचिकाकर्ता) से कोई जवाब नहीं मिला, तो भारतीय मध्यस्थता परिषद नियमों के नियम 25 और 27 के अनुसार मध्यस्थता समिति के परामर्श से पंजीयक द्वारा एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए किसी भी नियम की अनुपस्थिति में में, धारा 25 से 27 के तहत प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।इसके अलावा, पंजीयक ने श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर मध्यस्थ का प्रतिस्थापित नाम भेजने के लिए आई. सी. ए. नियमों की खंड 27 (2) (बी) के तहत अपना उचित नोटिस दिया था।हालाँकि, याचिकाकर्ता-हरियाणा राज्य अपने प्रतिस्थापित नामित व्यक्ति को भेजने में विफल रहा और अंततः, मध्यस्थ न्यायाधिकरण समिति ने श्री पी. सी. मार्कंड-प्रतिवादी संख्या 5 को श्री एम. के. अग्रवाल के स्थान पर प्रतिस्थापित मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े। इस तथ्य को दोनों पक्षों को विधिवत सूचित किया गया था।इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में रियायत समझौता मौन था।

(16) साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है जो कंस्ट्रक्शन (आई) लिमिटेड और अन्य 2 का तर्क है कि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुचित रूप से गठित किए जाने को चुनौती दी जाती है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 16 के तहत एक आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाना है। इसे आगे इस प्रकार रखा गया हैः-

“18.अधिनियम का पूरा उद्देश्य और योजना विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।इसलिए, जहां कोई पक्ष यह याचिका दायर करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन नहीं किया गया है या उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सीमा पर ऐसा करना चाहिए ताकि उपचारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मामले की सुनवाई में समय और व्यय शामिल हो सके, जो अंततः या तो उचित रूप से गठित नहीं किया गया है या अधिकार क्षेत्र में कमी पाई जा सकती है।

पुरस्कार को रद्द करने से बचा जा सकता है।आदर्श कानून पर टिप्पणी स्पष्ट रूप से उपरोक्त कानूनी स्थिति को दर्शाती है।

19.जहां किसी पक्ष को नोटिस प्राप्त हुआ है और वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका नहीं उठाता है, उसे एक मजबूत मामला बनाना चाहिए क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया है, यदि वह इस आधार पर अधिनियम की खंड 34 (2) (v) के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का विकल्प चुनता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं था। यदि अधिनियम की खंड 16 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ के समक्ष अधिकार क्षेत्र की याचिका नहीं ली जाती है, तो इस तरह की याचिका को अधिनियम की खंड 34 के तहत कार्यवाही में अधिनिर्णय को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अच्छे कारण नहीं दिखाए जाते हैं।”

(17) उपरोक्त चर्चा और एम 7 एस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के आलोक में, इस अदालत का विचार है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में अधिनियम की खंड 16 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार था, तो अधिनियम की खंड 14 के तहत उसके आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

(18) तदनुसार, विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(19) बर्खास्त कर दिया।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

महीपाल
3D1604
ट्रांसलेटर